संख्या 147/2022 /आई/719/41-1002(001) /8/2021-106 (बजट) /2021

प्रेषक ,

गिरिजापति द्विवेदी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन उ0प्र0
लखनऊ ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ : दिनांक 25 मार्च , 2022

विषय- जनपद फर्रुखाबाद में स्थित बौद्ध पर्यटन स्थल संकिसा के पर्यटन विकास एवं अन्य मूलभूत पर्यटक सुविधाओं की प्रयोजना हेतु भूमि क्रय के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-8257/6-1-1(1262)/2020-21. दिनांक 23.03.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रश्नगत प्रायोजना हेतु अवशेष धनराशि रू0 857.19 लाख प्रदान करने का अनुरोध किया गया है ।

2- उल्लेखनीय है कि पर्यटन अनुभाग के शासनादेश संख्या-502/2021/आई/105865/41-1002(001)/8/2021-106(बजट)2021, दिनांक 13.10.2021 द्वारा जनपद फर्रुखाबाद में स्थित बोद्ध पर्यटन स्थल संकिसा के पर्यटन विकास एवं अन्य मूलभूत पर्यटक सुविधाओं की प्रयोजना हेतु भूमि क्रय हेतु धनराशि रू0 9.02,19,860.00 (रू0 नौ करोड़ दो लाख उन्नीस हजार आठ सौ साठ मात्र) की प्रशासकीय एवं प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 45.00 लाख (रू0 पैतालीस लाख मात्र) को व्यय किये जाने हेतु जिलाधिकारी फर्रुखाबाद के निवर्तन पर रखी गयी थी ।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद फर्रुखाबाद में स्थित बौद्ध पर्यटन स्थल संकिसा के पर्यटन विकास एवं अन्य मूलभूत पर्यटक सुविधाओं की प्रयोजना हेतु भूमि क्रय हेतु अवशेष धनराशि रू0 857.19 लाख (रू0 आठ करोड़ सत्तावन लाख उन्नीस हजार मात्र) को व्यय किये जाने हेतु जिलाधिकारी, फर्रुखाबाद के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अन्तर्गत सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं -

(1) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में निहित शर्तों एक प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि जिस कार्य / मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा अर्थात स्वीकृत धनराशि का किसी अन्य मद / प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा । विभिन्न मदों में स्वीकृत राशि का व्यावर्तन तथा पुनर्विनियोजन शासन की पूर्व अनुमति से ही किया जायेगा ।

(2) प्रस्तर में निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के करने का प्राधिकार नहीं देता है । अतः जिन मामलों में उ0प0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रह तथा स्थापी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो , उन मामलों में धनराशि व्यय करने के पूर्व अनिवार्य रूप से मदवार व्यय विवरण शासन को उपलब्ध कराते हुए सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात ही व्यय सुनिश्चित किया जाय ।

(3) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि में से नियमानुसार व्यय किये जाने हेतु आवश्यक धनराशि को कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार , प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा । निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94 , दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिक्षित किया जाय ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(4) व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्यपिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय । इसके साथ - साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा किया जाय । वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी का अनुपालन भी सुनिश्चित

(5) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय सुनिश्चित करने के पूर्व महालेखाकार एवं आन्तरिक लेखा परीक्षा के रिपोर्टों / प्रतिवेदनों / आपत्तियों को अनिवार्य रूप से दृष्टिगत रखते हुए उनका समाधान करने के पश्चात हो नियमानुसार व्यय सुनिश्चित किया जायेगा ।

(6) प्रायोजना के निर्माण कार्य में वस्तु एवं सेवाकर (जी0एस0टी0) की धनराशि कार्यदायी संस्था को वास्तविक भुगतान के अनुसार नियमानुसार अनुमन्य होगी तथा इस संबंध में कार्यदायी संस्था द्वारा जी0एस0टी0 भुगतान के संबंध में सक्षम स्तर से प्रमाणिक प्रपत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा ।

(7) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रभुगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना / स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है ।

(8) कार्यदायी संस्था से कार्य पूर्ण होने के सम्पेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जाये ।

(9) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों , समय - समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा ।

(10) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा ।

4- प्रस्तर -3 में निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या -44 के लेखाशीर्षक 5452 - पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय - 80 - सामान्य - 104 - संवर्धन तथा प्रचार - 45- विभिन्न पर्यटन स्थलों हेतु भूमि का क्रय - 60 - भूमि क्रय मद के नामे डाला जायेगा ।

5 . यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग -1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-3/2021/ बी-1-375 / दस-2021-231/ 2021 दिनांक 22 मार्च , 2021 के द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(गिरिजापति द्विवेदी)
उप सचिव ।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम / द्वितीय , उ0प्र0 , प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम / द्वितीय , उ0प्र0, प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी , जवाहर भवन , लखनऊ ।
4. मंडलायुक्त , कानपुर मण्डल।
5. जिलाधिकरी , फर्रुखाबाद ।
6. वित्त नियंत्रक , पर्यटन निदेशालय , उ0प्र0, लखनऊ ।
7. संयुक्त निदेशक / उप निदेशक , पर्यटन निदेशालय , लखनऊ ।
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी , फर्रुखाबाद ।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग -7 , उ0प्र0 शासन , लखनऊ ।
10. वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग -1 / 2 , उ0प्र0 शासन , लखनऊ ।
11. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(गिरिजापति द्विवेदी)
उप सचिव ।

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।**